न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) इटावा जिला कोटा राज0

मिसलन न.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
48 / 2016	19 / 09 / 2016	19/01/21

पीठासीन अधिकारी– श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस)

उनवान

1. धनराज आयु 48 वर्ष
2. सुरेश कुमार आयु 45 वर्ष पुत्रान छगनलाल जातियान मीणा निवासीगण मूंगैना तह0 पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. चेतन कुमार आयु 28 वर्ष
2. ललित कुमार आयु 28 वर्ष पुत्रान गिर्राज जातियान मीणा निवासीगण मूँगेना तहसील पीपल्दा जि0 कोटा राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जि0 कोटा राजस्थान

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वकील वादी :– श्री भागवन्त सिह आसावत
वकील प्रतिवादी – श्री मनोज शर्मा

<u>अन्तर्गत धारा 53,88,188 आरटी एक्ट</u>

<u>निणर्य</u>

संक्षेप में वाद इस प्रकार है कि यह कि मुताबिक जमाबंदी सं0 2036 से 2039 के अनुसार वादीगण के पिता छगनलाल पुत्र श्री शंकरलाल जाति मीणा निवासी मूँगेना के खाते व कब्जे काश्त की आराजी ख.न. 403 रकबा 66 बीघा वाके माल ग्राम मूंडली तहसील पीपल्दा जि. कोटा राजस्थान में स्थित है , वादीगण के कायममुकामान वारिसान है।

यह कि प्रतिवादीगण कम 1 व 2 की दादी प्रभूबाई पत्नी कल्याण जाति मीणा नि0 मूंडली तहसील पीपल्दा के खाते व कब्जे काश्त की आराजी ख.न. 403 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा वाके माल ग्राम मुंडली तहसील पीपल्दा जि. कोटा राज. में स्थित है, जमाबंदी संवत 2036 संलग्न वाद पत्र है।

यह कि सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त वर्णित कृषि भूमि का सेंटलमेंट किया गया , जिसमें वादी के पिता के खाते की उक्त कृषि आराजी गत ख.न. 403 रकबा 66 बीघा के नये ख.न. इस प्रकार अंकित किये गये, ख.न. 663 रकबा 0.89 है0, ख.न. 664 रकबा 0.36 है0 , ख.न. 665 रकबा 5.95 है0 ख.न. 666 रकबा 0.12 है0 ,कुल किता 4 कुल रकबा 7.32 है0 तथा प्रतिवादी कम 1 व 2 की दादी प्रभूबाई के खाते की उक्त कृषि आराजी गत ख.न. 403 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा के नये ख.न. 659 रकबा 1.49 है0 ख.न. 667 की रकबा 0.70 है0 ख.न. 673 की रकबा 5.03 है0 किता 3 की रकबा 7.22 है0, अंकित किये गये जब कि वादीगण का पूर्व रकबा 66 बीघा वर्तमान में 10.56 है0 के समतुल्य बनता है, तथा प्रतिवादीगण कम 1 व 2 का पूर्व का रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा वर्तमान में 3.54 है0 के समतुल्य बनता है, इस प्रकार सेटलमेंट विभाग द्वारा वादीगण के रकबे में 3.24 है0 की कमी कर के प्रतिवादीगण कम 1 व 2 के रकबे में 3.68 है0 की वृद्धि कर दी गई, जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वादीगण सेंटलमेंट विभाग द्वारा किये गये उक्त गलत इन्द्राज को दुरुस्त करवाने एवं अपने पूर्व रकबे 66 बीघा जो वर्तमान में 10.56 है0 के समतुल्य बनता है, का खातेदार घोषित होने के अधिकारी है, तथा वादीगण अपने कमी रकबा 3.24 है0 की पूर्ति प्रतिवादी कम 1

Scanned with CamScanner

व 2 के बढ़े हुए रकबे 3.68 है0 मे से करवाने का अधिकारी है, नकल जमाबंदी वादी गण संवत 2070 से 20.. नकल जमाबंदी प्रतिवादीगण कम 1 व 2 संवत 2070 से 2073 मिलान क्षैत्रफल संलग्न वाद पत्र है।

यह कि वादीगण द्वारा सेटलमेंट विभाग द्वारा किये गये उक्त गलत इन्द्राज को दुरुस्त किये जाने की, कई मर्तबा प्रार्थना प्रतिवादी कम 3 से की गई, लेकिन प्रतिवादी कम 3 द्वारा स्पष्ट रूप से मना करने पर मजबूरन माननीय न्यायालय के समक्ष अपने अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत करना पड़ा।

यह कि वादीगण वर्तमान में अपने पूर्व रकबे 66 बीघा पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है, लेकिन प्रतिवादीगण कम 1 व 2 द्वारा सेटलमेंट विभाग द्वारा किये गये गलत इन्द्राज के आधार पर दिनांक 10.09.2016 के वादीगण के खाते व कब्जे की आराजी को जबरदस्ती हांकने की धमकी देने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ। यह कि राज्य सरकार के पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी के तहत नोटिस दिया जाना आवश्यक है, लेकिन समयाभाव में एवं वाद आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस दिया जाना सम्भव नही है, इसलिए धारा 80(2) सी.पी.सी के तहत माननीय न्यायालय से प्रार्थना की गई है।

अतः वाद पत्र पेश कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय के आदेश व डिकी जारी की :–

यह कि वादीगण के खाते की वर्तमान कृषि आराजी ख.न. 663 रकबा 0.89 है0, 664 रकबा 0.36 है0,665 रकबा 5.95 है0, 660 रकबा 0.12 है0,किता 4 रकबा 7.32 है0, के स्थान पर पूर्व रकबा 66 बीघा जो वर्तमान में 10.56 है0, के समतुल्य बनता है में कमी रकबा 3.24 है0 की पूर्ति प्रतिवादी कम 1व 2 के खाते की कृषि आराजी हाल ख.न. 659 रकबा 1.49 है0 ख.न. 667 रकबा 0.70 है0 , ख.न. 673 रकबा 5.03 है0 किता 3 रकबा 7.22 है0 वाके ग्राम मुंडली तहसील पीपल्दा जि0 कोटा राज0 मे से की जाकर वादीगण के पूर्व रकबे 66 बीघा के अनुरूप वर्तमान में 10.56 है0 , का खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

यह कि मुताबिक आदेश एवं डिकी की पालना की जाकर मुताबिक आदेश व डिकी राजस्व रिकार्ड में अमल किये जाने हेतु प्रतिवादी कम 3 को लिखा जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई । प्रतिवादी कम 1 व 2 द्वारा जर्ये एडवोकेट उपस्थित होकर जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि –

1– यह है कि वाद पत्र की मद न.1 स्वीकार है।
2– यह है कि वाद पत्र की मद न.2 स्वीकार है।
3– यह है कि वाद पत्र की मद सं. 3 जिस पर लिखी गई है वह स्वीकारनही है सही तथ्य यह है कि प्रतिवादीगण की दादी प्रभुबाई के खाते की भूमि सिलिंग मे गई थी, प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम मूण्डली की खाते मे दर्ज भूमि ख.न. 659 की 1.49है0 पर ख.न. 667 की 0.70 है0 ख.न. 673 की 5.03 है0 कुल 7.22 है0 प्रतिवादीगण उनके खाते की भूमि 659 की 1.49 है0 ख.न.673 की 2.35 है0 पूर्वी दिशा व वादीगण उनके खाते की भूमि ख.न. 659 की 1.49 है0 ख.न. 673 की 2.35 है0 पूर्वी दिशा व वादीगण के खाते में दर्ज ग्राम मूण्डली की भूमि ख.न. 664 की 0.16 है0 पर काबिज है तथा इसी प्रकार काश्त करते चले आ रहे है ओर शेष भूमि प्रतिवादीगण की पर वादीगण काबिज है विशेष कथन अवलोकनीय है। प्रतिवादीगण की भूमि वादीगण के खाते में ख.न. 664 की 0.16 है0 दर्ज है वादीगण ने उक्त भूमि प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज नही करवाने के कारण यह काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है।

विशेष कथन –

1– यह है कि प्रतिवादीगण के खाते में वाके ग्राम मूण्डली की खाते मे दर्ज भूमि ख.न. 659 की 1.49है0 पर ख.न. 667 की 0.70 है0 ख.न. 673 की 5.03 है0 कुल 7.22 है0 भूमि है। प्रतिवादीगण उनके खाते की भूमि 659 की 1.49 है0 ख.न.673 की 2.35 है0 पूर्वी दिशा व वादीगण उनके खाते की भूमि ख.न. 659 की 1.49 है0 ख.न. 673 की 2.35 है0 पूर्वी दिशा व वादीगण के खाते में दर्ज ग्राम मूण्डली की भूमि ख.न. 664 की 0.16 है0 पूर्व दिशा कुल किता 3 रकबा 4.00 है0 पर काबिज काश्त है ओर यही भूमि वादीगण के खातेदारी एवं स्वामित्व की है।

Scanned with CamScanner

2– यह है प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज ग्राम मूण्डली की भूमि ख.न. 673 की 2.68 हैक्टर पश्चिम दिशा की भूमि वादीगण के कब्जे काश्त में है ख.न. 667 की 0.70 है। भूमि वादी के खाते की भूमि है जिससे प्रतिवादीगण का कोई लेना–देना नहीं है।

3– यह कि वादीगण के खाते दर्ज भूमि वाके ग्राम मूण्डली की ख.न. 664 रकबा 0.36 हैक्टर मे से पूर्वी दिशा की 0.16 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण के खाते मे दर्ज की जावे जिसका काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण प्रस्तुत करते है।

4– यह कि प्रतिवादीगण के खाते दर्ज भूमि ग्राम मूण्डली की ख.न. 667 की 0.70 हैक्टर ख.न. 673 की 5.03 हैक्टर मे से पश्चिम दिशा की भूमि 2.68 हैक्टर वादीगण के खाते दर्ज कर दी जावे इसी अनुरूप सादर डिकी फरमाई जावे। और वादीगण के खाते मे दर्ज भूमि ख.न. 664 मे से 0.16 है, पूर्वी दिशा की प्रतिवादीगण के खाते दर्ज की जावे।

वादीगण की ओर से जवाबुल जवाब काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–

1– यह है कि जवाबदावे की मद न. 1 व 2 स्वीकार है।

2– यह कि जवाबदावे की मद न. 3 स्वीकार है क्योकी प्रतिवादीगण के खाते की भूमि ख.न. 664 की 0.16 है0 भूमि प्रतिवादीगण की वादीगण के खाते में दर्ज कर दी जिस पर वादीगण का कोई कब्जा स्वामित्व नही है। उपरोक्त आराजी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त मे है।

3– यह है कि जवाबदावे में वर्णित विशेष कथन की समस्त मदे स्वीकार है। अतः जवाबुल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के काउण्टर क्लेम के अनुसार तथा उनके द्वारा विशेष कथन के अनुसार सादर डिकी वादीगण व प्रतिवादीगण के पक्ष में फरमाई जावे।

प्रतिवादी कम 3 सरकार की ओर से भी जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी कम 3 सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा उनके खाते दर्ज भूमि को सिद्व करने का अधिकारी है

वादीगण एव प्रतिवादीगण द्वारा लोक अदालत की भावना अनुसार आपसी सहमति से न्यायालय मे उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि–

1– यह कि वादीगण के खाते में दर्ज भूमि वाके माल मुण्डली की खसरा नम्बर 664 की 0.36 है0 में से 0.16 है, पूर्वी दिशा की प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज कर दी जावे।

2–यह कि प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज भूमि वाके माल मूण्डली की भूमि ख.न. 659 रकबा 1.49 है, ख.न. 667 रकबा 0.70 है, व ख.न. 673 की 5.03 है, कुल किता 3 रकबा 7.22 हैक्टर मे से वादीगण के खाते ख.न. 667 की 0.70 है0 व ख.न. 673 की 5.03 है0 मे से पश्चिम दिशा की 2.68 है0 कुल 3.38 है0 खाते मे दर्ज कर दी जावें तथा शेष आराजी ख.न. 659 की 1.49 है0 व ख.न. 673 की 5.03 है0 में से पूर्वी दिशा की 2.35 है0 प्रतिवादीगण के खाते में यथावत रखी जावें वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उपरोक्तानुसार राजीनामा हो चुका है तथा वादीगण प्रतिवादीगण उपरोक्त राजीनामे के अनुसार निर्णय चाहते है, उपरोक्त राजीनामे के अनुसार इस प्रकार सादर डिकी फरमाई जावे किः–

यह कि ग्राम मूण्डली की ख.न. 664 की 0.36 है0 में से 0.16 है0 है, पूर्वी दिशा कि भूमि पर वादीगण धनराज, सुरेशकुमार के नाम के स्थान पर प्रतिवादीगण चेतनकुमार, ललित कुमार के खाते मे दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण चेतनकुमार, ललित कुमार के खात की भूमि वाके माल मुंडली की ख.न. 667 रकबा 0.70 है0 व ख.न. 673 की 5.03 है0 मे से 2.68 है0 पश्चिम दिशा की भूमि के वादीगण धनराज व सुरेश कुमार के खाते की जावे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

उपरोक्तानुसार सादर डिकी फरमाई जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

बहस सुनी गई। वकील पक्षकारान द्वारा मुताबिक राजीनामा वाद डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओ एवं उभयपक्षकार ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया एवं न्यायालय की आदेशिका में सहमति से अपने अपने हस्ताक्षर कर निवेदन किया कि उपरोक्त विवादित आराजी में हम दोनो पक्षकारों के मध्य सहमति से विवाद समाप्त हो चुका है एवं पक्षकारान

Scanned with CamScanner

आपसी सहमति से जो राजीनामा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार फरमाया जावे। उभयपक्ष के अधिवक्ताओ एवं उभयपक्ष ने जो सहमति से राजीनामा प्रस्तुत किया है जिसका गहन अध्ययन, मनन किया गया, पत्रावली मे उपलब्ध दस्जावेजो के अवलोकन से उभयपक्षकारान् के मध्य हुए राजीनामा स्वीकार किया जाने योग्य हैं ।

अतः प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है। मुताबिक राजीनामा विवादित आराजीयात् वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

वादीगण के खाते में हि0 बराबर दर्ज की जावे ।

1– धनराज पुत्र छगनलाल जाति मीना निवासी मुंगेना तहसील पीपल्दा जिला कोटा

2– सुरेश कुमार पुत्र छगनलाल जाति मीना निवासी मुंगेना तहसील पीपल्दा जिला कोटा

ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	दिशा	
मूण्डली	667	0.70 हैक्टर	सम्पूर्ण	
मूण्डली	673	5.03 हैक्टर मे से 2.68 हैक्टर	पश्चिमी दिशा	
	663	0.89 हैक्टर	यथावत	
	664	0.36 हैक्टर मे से 0.20 हैक्टर	गै.मु. धोरा,पश्चिम	
	665	5.95 हैक्टर	यथावत	
	666	0.12 हैक्टर	यथावत	
योग	किता 06	10.54 हैक्टर		

प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज की जाने वाली आराजी

1– चेतन कुमार पुत्र गिरिराज जाति मीना निवासी मुंगेना तहसील पीपल्दा जिला कोटा

2– ललित कुमार पुत्र गिरिराज जाति मीना निवासी मुंगेना तहसील पीपल्दा जिला कोटा

ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	दिशा	
मूण्डली	664	0.36 हैक्टर मे से 0.16 हैक्टर	पूर्वी दिशा, गै.मु. धोरा	
मूण्डली	659	1.49	यथावत	
	673	5.03 हैक्टर मे से 2.35 है0	यथावत	
योग	किता 03	4.00 है0		

विवादित आराजीयात् पर यदि किसी बैक का रहनभार है तो यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। उक्तानुसार अंतिम डिकी मुर्तिब की जाती है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) इटावा

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

<u>अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा</u>

मेसलन नं. 48/2016 | तारीख दायरा 19/09/2016 | तारीख फैसला 12/01/21

पीठासीन अधिकारी– श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस)

उनवान

1. धनराज आयु 48 वर्ष
2. सुरेश कुमार आयु 45 वर्ष पुत्रान छगनलाल जातियान मीणा निवासीगण मूंगैना तह0 पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. चेतन कुमार आयु 28 वर्ष
2. ललित कुमार आयु 28 वर्ष पुत्रान जातियान मीणा निवासीगण मूॅगेना तहसील पीपल्दा जि0 कोटा राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जि0 कोटा राजस्थान

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

वकील वादी :– श्री भागवन्त सिह आसावत | वकील प्रतिवादी – श्री मनोज शर्मा

<u>अन्तर्गत धारा 88,89,92(ए),188 आरटी एक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री भागवन्त सिह आसावत मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :– अतः प्रस्तुल राजीनामा स्वीकार किया जाता है। मुताबिक राजीनामा विवादित आराजीयात् वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

वादीगण के खाते में हि0 बराबर दर्ज की जावे ।

1– धनराज पुत्र छगनलाल जाति मीना निवासी मुंगेना तहसील पीपल्दा जिला कोटा

2– सुरेश कुमार पुत्र छगनलाल जाति मीना निवासी मुंगेना तहसील पीपल्दा जिला कोटा

ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	दिशा	
मूण्डली	667	0.70 हैक्टर	सम्पूर्ण	
मूण्डली	673	5.03 हैक्टर मे से 2.68 हैक्टर	पश्चिमी दिशा	
	663	0.89 हैक्टर	यथावत	
	664	0.36 हैक्टर मे से 0. 20 हैक्टर	गै.मु. धोरा,पश्चिम	
	665	5.95 हैक्टर	यथावत	
	666	0.12 हैक्टर	यथावत	
योग	किता 06	10.54 हैक्टर		

प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज की जाने वाली आराजी

1– चेतन कुमार पुत्र गिरिराज जाति मीना निवासी मुंगेना तहसील पीपल्दा जिला कोटा

2– ललित कुमार पुत्र गिरिराज जाति मीना निवासी मुंगेना तहसील पीपल्दा जिला कोटा

ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	दिशा	
मूण्डली	664	0.36 हैक्टर मे से 0.16 हैक्टर	पूर्वी दिशा, गै.मु.धोरा	
मूण्डली	659	1.49	यथावत	

Scanned with CamScanner

	673	5.03 हैक्टर मे से 2.35 है0	यथावत	
योग	किता 03	4.00 है0		

विवादित आराजीयात् पर यदि किसी बैक का रहनभार है तो यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। उक्तानुसार अंतिम डिकी मुर्तिब की जाती है।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) इटावा

Scanned with CamScanner